<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263971 CG-DL-E-19062025-263971

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2664]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947

No. 2664]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2025

का.आ. 2729(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से उक्त अधिनियम की धारा 435 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपराधों की त्वरित सुनवाई का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करती है, अर्थात्: -

# तालिका

क्र.सं.	न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में
		क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	पंजाब राज्य
	न्यायालय, एसएएस नगर।	
2	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	हरियाणा राज्य
	न्यायालय, गुरुग्राम।	
3	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़
	न्यायालय, चंडीगढ़।	

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-I खंड IV]

बालामुरुगन डी, संयुक्त सचिव

3992 GI/2025 (1)

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2025

**S.O. 2729(E).**—In exercise of the powers conferred by section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana, hereby designates the Court mentioned in column (2) of the Table below as Special Courts for the purposes of providing speedy trial of offences under clause (b) of sub-section (2) of section 435 of the said Act, namely: —

#### Table

Sl. No.	Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1	Court of Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Judicia	State of Punjab
	Magistrate, SAS Nagar	
2	Court of Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Judicia	State of Haryana
	Magistrate, Gurugram	
3	Court of Chief Judicial Magistrate or Additional Chief Judicia	Union territory of Chandigarh
	Magistrate, Chandigarh	

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol. IV)] BALAMURUGAN D, Jt. Secy.